

श्रमिक संघ नियमावली

1. संघ का नाम होगा।
2. पता – संघ के प्रधान कार्यालय का पता होगा।
(यदि इस कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन होगा, तो ऐसे परिवर्तन का प्रभावी होने की तारीख में 14 दिनों के भीतर सभी सम्बद्ध व्यक्तियों एवं निबंधक, श्रमिक संघ, झारखण्ड को इसे सम्यक रूप से सूचित किया जायेगा।)
3. संघ का मुहर– संघ एक निगम निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी। निबंधक श्रमिक संघ के पास पेश किये जाने वाले सभी संघ मुहर लगी रहेगी।
4. संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
 - (क) में काम करने वाले कर्मचारियों/मजदूरों को संगठित करना।
 - (ख) सदस्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा सदस्यों और उनके नियोजकों के बीच संबंध नियमित करना।
 - (ग) उनके लिए जीवन और काम के लिए उचित शर्तें सुनिश्चित करना।
 - (घ) बेहतर मजदूरी एवं काम की भातों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना।
 - (ङ) दुर्घटना की दशा में सदस्यों को नियोक्ता से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत प्रतिकर दिलवाने का प्रयत्न करना।
 - (च) बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, दुर्घटना और मृत्यु की दशा में सदस्यों एवं उनके आश्रितों के लिए सहायता की व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना।
 - (छ) नियोजक और कर्मचारी के बीच के संबंध को सुधारने का प्रयत्न करना।
 - (ज) समान उद्देश्यों वाले कामगारों के अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना और उनके साथ सम्बद्ध होना।
 - (झ) ऊपर उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्यतः ऐसे अन्य प्रयास करना जो आवश्यक हो।
 - (ञ) उनकी समितियों में बाल समिति तथा कार्यावली में बाल श्रम उन्मूलन को सम्मिलित करना।
 - (ट) विभिन्न प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों में नियोजित बाल श्रमिकों के बारे में सूचना देना।
 - (ठ) श्रमिक संघ संगठनों तथा इसके सदस्यों में यह जागृति फैलाना की वे अपने बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने की अनुमति न दें तथा किसी बच्चे को नियोजित न करें।
 - (ड) सदस्यों की क्षमता में अभिवृद्धि करना जिससे वे अनौपचारिक क्षेत्रों में बालश्रम को रोकने हेतु कार्य कर सकें।
 - (ढ) उनके कार्यक्षेत्रों में बाल श्रमिक चिन्हित होने पर अभियोजन हेतु कार्रवाई करना।
5. तरीका– संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बराबर संवैधानिक और भाातिपूर्ण तरीके अपनायेगा और हिंसात्मक कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा, जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हो।
6. साधारण सदस्य – में नियोजित 18
..... में नियोजित 18
(अठारह) या उससे अधिक उम्र का कर्मचारी संघ के साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश पाने का पात्र होगा, बशर्ते वह संघ द्वारा बनाई गयी या समय-समय पर बनायी जाने वाली नियमावली और उप-विधियों का

पालन करने के लिए सहमत हो। साधारण सदस्य को संघ का सदस्य बनने पर रूपया प्रवेश शुल्क तथा रूपये वार्षिक चन्दा (..... मासिक चन्दा) के रूप में देना होगा। वार्षिक चन्दा वर्ष की प्रथम तिमाही के भीतर देना होगा। मासिक चन्दा माह के प्रथम सप्ताह में देना होगा। जो सदस्य वर्ष की द्वितीय तिमाही के सप्ताह होने के पूर्व लगातार तीन महीने तक अपना चन्दा नहीं चुकायेगा वह संघ का सदस्य नहीं रह जायेगा तथा वह सदस्य न रह जाने की तारीख से संघ की ओर से किसी भी लाभ का अपना दावा खो देगा। किन्तु कार्यकारिणी समिति ऐसे व्यक्ति को फिर से सदस्य बना सकेगी जो अपने चन्दे का बकाया और प्रवेश शुल्क के बराबर पूर्व प्रवेश शुल्क चुका देगा। संघ का कार्य वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा।

7. **मान्यक (आननेरी) सदस्य** – जो व्यक्ति उपर्युक्त नियम के अधीन साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के पात्र न होंगे वे संघ के कार्यकारिणी समिति के लिए निर्वाचित या सहयोजित (को-ऑप्ट) होने के प्रयोजनार्थ संघ के मान्यक (आननेरी) सदस्य बनाये जा सकेंगे। ऐसे मान्यक सदस्यों की संख्या किसी भी समय कार्यकारिणी समिति की कुल संख्या के आधे से, इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगी।
8. **सदस्य पंजी**– सदस्यों की जिसके अन्तर्गत मान्यक सदस्य भी हैं, एक पंजी होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, उम्र, पता और पेशा दिया रहेगा। यह पंजी संघ के निबंधित कार्यालय में रखी रहेगी तथा जिम्मेवार पदाधिकारियों द्वारा समुचित रूप से भरी जायेगी। संघ का कोई भी सदस्य या पदधारी निरीक्षण करने के तीन दिनों की पूर्व सूचना देकर सप्ताह में किसी भी दिन संघ के सामान्य कार्यालय समय में इस पंजी का निरीक्षण कर सकेंगे।
9. **सदस्यों का निष्कासन (हटाया जाना)**–जालसाजी का काम करना या संघ के हितों के प्रतिकूल कार्य करने कारण संघ के कोई भी सदस्य जिसके अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं। सदस्यों को आम-सभा के बैठक के निर्णय से संघ की सदस्यता से निष्काषित किये जा सकेंगे। परन्तु निष्काषित किये जाने वाले सदस्यों को अपने आचरण की औचित्य स्पष्ट करने का पार्याप्त अवसर दिया जायेगा।
10. **सामान्य बैठक (आम सभा)** निम्नलिखित कार्यों के संचालन के लिए प्रतिवर्ष जनवरी/फरवरी में संघ के सभी सदस्यों की एक सामान्य (आम) वार्षिक बैठक होगी। :-
 - (क) संघ द्वारा किये गए कार्यों की रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखा वितरण को पारित करना।
 - (ख) अगले वर्ष लिए संघ पदधारियों का निर्वाचन करना।
 - (ग) अध्यक्ष की अनुमति से पेश किये गये किसी अन्य कार्यक्रम को सम्पादित करना।

वार्षिक सामान्य बैठक (आम-सभा) के लिए कोरम संघ की पंजी में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई का होगा। सदस्यों को सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी, जो संघ को सूचना-पट्ट पर नोटिस चिपका कर और संघ के सदस्यों के बीच छपी नोटिस बंटवा कर दी जायेगी। जब अध्यक्ष संघ के सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाना आवश्यक समझें, तब वह कार्यकारिणी समिति की सहमति से एक ऐसी बैठक बुला सकेंगे ऐसी बैठक वह संघ के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षरित भाग पर भी, मांग किये जाने के 30 दिनों के भीतर बुलायेगा। यदि अध्यक्ष मांग किये जाने के 30 दिनों के भीतर ऐसी बैठक नहीं बुलायेगा, की मांग करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा वे ऐसी बैठक सात दिनों की नोटिस देकर बुला लें, जिस नोटिस में यह उल्लेखित रहेगा कि किस निश्चित तारीख को बैठक

बुलायी जा रहा है। मांग करने वाले सदस्यों को केवल उन्हीं मदों पर विचार-विमर्श करने का अधिकार होगा, जो मद प्रथम मांग नोटिस में शामिल होंगे।

11. **कार्यकारिणी समिति का चुनाव**— सदस्यों का सामान्य निकाय संघ के सभी मामलों पर नियंत्रण रखेगा, तथा सदस्यों की कार्यकारिणी समिति जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, () उपाध्यक्ष, () महामंत्री, () संयुक्त/सहायक मंत्री और कोषाध्यक्ष भी हैं, संघ का प्रशासन चलायेगी। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, समिति में निर्वाचित या नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति के सदस्य जिसके अन्तर्गत पदधारी भी हैं, प्रत्येक तीन वर्ष पर संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में चुने जायेंगे और वे तब तक पदधारण किये रहेंगे जब तक कि पदधारियों का अगला चुनाव नहीं हो जाता किन्तु किसी भी परिस्थिति में संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक का नहीं होगा। सदस्यों की मृत्यु, पद त्याग या निष्कासन के फलस्वरूप कार्यकारिणी समिति में होने वाली रिक्तियाँ कार्यकारिणी समिति द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक या इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलायी गयी (किसी भी सामान्य बैठक/मांग किये जाने पर बुलायी गयी) बैठक में पदधारियों का अगला चुनाव होने तक पदधारण करते रहेंगे। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को जिनके अन्तर्गत पदधारी भी हैं। कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ही संघ की सामान्य बैठक इस निमित्त विशेष रूप से बुलायी गयी बैठक में उनके विरुद्ध अलग-अलग या सामुहिक रूप में अविश्वास प्रस्ताव पास कर पद से हटाया जा सकता है। इस तरह हटाये जाने के चलते हुई रिक्तियाँ संघ के सामान्य निकाय द्वारा भरी जायेगी।

हर दो महीने पर कार्यकारिणी समिति की कम से कम एक बैठक होगी। सभापति की सहमति से महामंत्री बैठक बुलायेगा और कार्यावली सहित इस तरह की बैठक की सूचना बैठक के कम से कम तीन दिन पहले कार्यकारिणी समिति के हरेक सदस्य को दे दी जायेगी। कार्यकारिणी की बैठक का कोरम इसके कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्य से पूरा होगा।

कार्यकारिणी समिति को यह शक्ति प्रदत्त होगी कि संघ के किसी भी सदस्य को जिसके अन्तर्गत उसका पदधारी भी है, पर्याप्त कारण से साधारण बहुमत द्वारा मुअत्तल कर दे बशर्ते कि यह विषय बैठक की कार्यावली में भामिल कर लिया गया हो और इसके लिए सामान्य निकाय का अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। हरेक बैठक में कार्यकारिणी समिति महामंत्री से रिपोर्ट प्राप्त करेगी, और लेखा प्राप्त करेगी। यह समान्यतः संघ और इसके पदधारियों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी, किन्तु इन पर अंतिम निर्णय सामान्य निकाय को होगा। संघ की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखा वार्षिक सामान्य बैठक में रखे जाने के पहले कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

12. **पदाधिकारियों के कर्त्तव्य** :- (I) सभापति संघ के सभी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। वह संघ की कार्यकारिणी समिति और सामान्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और इनके कार्यों का संचालन करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा। अध्यक्ष को रूपये तक खर्च करने का प्राधिकार देने की शक्ति होगी, किन्तु इसके लिए अगली बैठक में कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा।

(II) उपाध्यक्ष – अध्यक्ष को दैनन्दिनी कार्यों में सहायता करेगा और वह उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करेगा।

(III) महामंत्री संघ का मुख्य प्रशासी पदाधिकारी होगा और निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा।

- (क) सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति और सभापति के सभी अनुदेशों को कार्यान्वित करना।
- (ख) संघ की ओर से पत्राचार करना।
- (ग) सभी बैठकों का कार्यवत्त अभिलिखित करना।
- (घ) सदस्यता पंजी तथा अन्य बहियों और पंजियों (लेखा बहियों और पंजियों को छोड़कर रखना)
- (ङ) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना और उसके लिए सूचना एवं कार्यावली (एजेण्डा) निर्गत करना।
- (च) ऐसा वितरण और अन्य दस्तावेज उपस्थापित करना, जो ट्रेड युनियन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपस्थापित किये जाने के लिए अपेक्षित हो।
- (छ) कार्यकारिणी समिति के मंजूरी के बिना प्रतिमाह रूप्ये तक खर्च करना, किन्तु उसे अगली बैठक में उसका अनुमोदन कर लेना होगा और
- (ज) कार्यकारिणी समिति की हरेक बैठक में खर्च की रिपोर्ट और लेखा अनुमोदनार्थ उपस्थापित करना।
- (IV) सहायक मंत्री महामंत्री को उसके काम में सहायता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उसका काम करेगा।
- (V) कोषाध्यक्ष संघ का लेखा रखेगा और देय रकम बसूलेगा और उसके लिए रसीद देगा तथा उचित प्राधिकृत भाउचर पर भुगतान करेगा।
13. **संघ के लेखे का निरीक्षण और अंकेक्षण**—संघ के पास एक सामान्य निधि होगी, जिसका संग्रह सदस्यों के चन्दे, दान और अन्य विविध श्रोतों से किया जायेगा। महामंत्री बिहार ट्रेड युनियन नियमावली, 1928 के विनियम 15 के अनुसार कार्यकारिणी समिति द्वारा अंकेक्षण या अंकेक्षकों के जरिये 31 दिसम्बर की समाप्ति होने वाले हरेक वर्ष के लेखे के वार्षिक अंकेक्षण के लिए यथोचित व्यवस्था करेगा। यदि संघ का कोई पदधारी या सदस्य संघ की लेखा बही का निरीक्षण करना चाहे तो वह संघ के कार्यालय में निरीक्षण के लिए कम से कम तीन दिनों की सूचना देकर अवकाश दिन को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन सामान्य कार्यकाल में लेखा बही का निरीक्षण कर सकेगा। इसी तरह संघ का लेखा निबंधक, श्रमिक संघ द्वारा निरीक्षण के लिए भी संघ के कार्यालय में या उसके द्वारा यथानियत स्थान में उपलब्ध रहेगा।
14. प्रयोजन, जिनके लिए संघ की सामान्य निधियाँ निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं उद्देश्यों पर व्यय नहीं की जायेगी।
- नामत :—
- (क) संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और व्ययों का भुगतान,
- (ख) श्रमिक संघ के प्रशासन के लिए व्ययों का भुगतान जिसके अन्तर्गत श्रमिक संघ की साधारण निधियों के लेखाओं का अंकेक्षण भी सम्मिलित है,
- (ग) ऐसी कोई वैधिक कार्यवाही चलाना जिसमें ट्रेड युनियन या उसका कोई सदस्य एक पक्षकार (पार्टी) हो, बशर्ते ऐसी कार्यवाही या उसकी प्रतिवादी कार्यवाही ट्रेड युनियन के किसी अधिकार की अथवा संघ के किसी सदस्य को उसके नियोजक के साथ या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध के चलते होने वाले किसी अधिकार की प्राप्ति या उसकी रक्षा के लिए चलायी जाय।
- (घ) श्रमिक संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से श्रम विवाद (मालिक मजूदर के झगड़े) का संचालन,
- (ङ) श्रम विवाद (Trade Disputes) के कारण हुई क्षति के लिए सदस्यों को प्रतिकर का दिया जाना।

- (च) सदस्यों की मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी, दुर्घटना, शारीरिक असमर्थता या बेरोजगारी के कारण सदस्यों या उनके आश्रितों को भते।
- (छ) सदस्यों को जीवन बीमा पॉलिसियों एवं बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरुद्ध सदस्यों का बीमार करनेवाली पॉलिसियों का दिया जाना या उसके अन्तर्गत दायित्व का ग्रहण,
- (ज) सदस्यों या उनके आश्रितों के लिए भौक्षणिक, सामाजिक या वार्षिक सुविधाओं से संबंधित, खर्च जिसमें मृत सदस्यों के अंतिम संस्कार या धार्मिक अनुष्ठान का खर्च भी शामिल है।
- (झ) मुख्यतः नियोजकों का या कर्मकारों पर उनकी उस हैसियत से प्रभाव डालनेवाले प्रश्न पर विवेचन करने के प्रयोजन के लिए पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन, प्रकाशन, संचालन करना।
- (ञ) ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च जिसके लिए श्रमिक संघ की सामान्य निधि से खर्च किया जा सकता है अथवा सामान्य कर्मकारों के फायदे के लिए अभिप्रित किसी भी मद में अंशदान, परन्तु किसी वर्ष ऐसे अंशदान के सम्बंध में किया जानेवाला खर्च उस वर्ष श्रमिक संघ की सामान्य निधि में उस समय तक हुई सकल आय और उस वर्ष के आरम्भ में उस निधि में जमा अतिशेष (बैलेंस) के कुल जोड़ की एक-चौथाई रकम से अधिक नहीं होगा तथा
- (ट) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं भातों के अधीन रहते हुए कोई अन्य उद्देश्य जो शासकीय गजट में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

15. संघ की सामान्य निधि और उसकी निरापद अभिरक्षा—संघ की सामान्य निधि अन्तर्गत निम्नलिखित रकमें होंगी।

- (i) प्रवेश भुल्क
- (ii) चन्दा
- (iii) संघ के सामान्य या किसी खास प्रयोजन के लिए सदस्यों से संग्रह किया गया दान या अतिरिक्त चन्दा।
- (iv) मैचों, नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या ऐसे अन्य मनोरंजनों के जरिये, जो खासकर कर्मकारों और सामान्यतः सोसायटी के लिए लाभदायक हो, संग्रह की गई रकम।

(संघ नियोजको से दान स्वीकार नहीं करेगा)

उपर्युक्त श्रोतों से संग्रह की गयी रकम कार्यकारिणी समिति द्वारा यथा अनुमोदित बैंक या बैंको में संघ के नाम से जमा की जायेगी तथा उक्त लेखे का संचालन उसके अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष चालु खर्च के लिए अपने पास अधिक से अधिक रूपये रखेगा।

16. राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पृथक नोति खोलना :— संघ एक पृथक ऐसे अंशदानो के गठन कर सकेगा जो उस निधि के लिए पृथकतः उद्गृहित किये गये हों, जिसमें से भुगतान श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-16 की उपधारा-(2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को अग्रसर करने में उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के अधिवृद्धि के लिए किये जायें। संघ का सदस्य होने के लिए उक्त निधि में चन्दा देना जरूरी नहीं होगा और कोई भी सदस्य चन्दा देने से इन्कार करें तो वह इससे किस बात के लिए निर्योग्य नहीं किया जा सकेगा। राजनीतिक निधी का अंकेक्षण सामान्य लेखे का अंकेक्षण के साथ किया जायेगा तथा जो अंकेक्षण सामान्य लेखे का अंकेक्षण करेगा वही इसका भी अंकेक्षण करेगा।

17. वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना— ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अनुसार महामंत्री, ट्रेड यूनियन के निबंधक के पास प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक संघ का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
18. नियमावली का संशोधन, परिवर्तन या रद्द किया जाना— ट्रेड यूनियन के अधिनियम के अभिभावी उपधारों के अधीन हुए, संघ को कोई भी नियम सामान्य निकाय की बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द किया जा सकेगा।
उपर्युक्त बैठक के 15 दिनों के भीतर नियम या नियमों में किये गए परिवर्तन की सूचना निबंधक के पास भेज दी जायेगी परिवर्तन को तबतक प्रभावी न माना जायेगा, जबतक उसका निबंधन हो जाय और इस निमित्त श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाय।
19. हड़ताल — संघ हड़ताल पर जाने का निर्णय तबतक न लेगा जबतक सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौते के लिए किये गये सभी प्रयास विफल नहीं हो जायें। हड़ताल तबतक न की जायेगी, जबतक इस प्रयोजन से बुलायी गयी बैठक में सदस्यों का सामान्य निकाय इस सम्बंध में अपना अनुमोदन नहीं दे दें। यदि कोई हड़ताल उस समय प्रस्तुत किसी निधि के प्रतिकूल होगी, तो संघ ऐसी हड़ताल का न तो आयोजन करेगा और न उसे प्रोत्साहन ही देगा।
20. संघ का विघटन—संघ का तभी विघटन किया जायेगा जबकि इस संबंध में निर्णय इस प्रयोजन से बुलायी गई आम-सभा में सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा, अन्यथा नहीं। ऐसी बैठक का कोरम संघ के कुल सदस्यों के तीन-चौथाई सदस्यों से पूरा होगा। संघ का विघटन हो जाने पर संघ के महामंत्री और उसके सात सदस्यों के हस्ताक्षर से एक नोटिस, निबंधन प्रमाण-पत्र के साथ, विघटन के 14 दिनों के भीतर निबंधक के पास विघटन के लिए भेज दी जायेगी तथा वह विघटन ऐसे निबंधन की तारीख से प्रभावी होगा। उपर्युक्त बैठक में ही यह भी निर्णय ले लिया जायेगा कि विघटन के बाद संघ का निधि का खर्च किस प्रकार किया जायेगा।

दिनांक

संघ के अध्यक्ष या महामंत्री का हस्ताक्षर